न्यायालय :: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर (राज.)

पीठासीन अधिकारी -- प्रिया टावरी, ''आर.जे.एस''

फौजदारी विविध प्रकरण सं. ...../2026 (सीआईएस सं. 259/2026)

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 147/2025, पुलिस थाना कोतवाली जालोर

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 164/2025 (सीआईएस नंबर 1328/2025)

अपराध अंतर्गत धारा 303(2) भा.न्या.सं. व धारा व 4/21 एमएमडीआर एक्ट, 15, 16 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम

***

भंवरू खान पुत्र मोहम्मद खान, उम्र 27 वर्ष, निवासी सेवड़ी, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर (राज.)

--- प्रार्थी/वाहन मालिक

बनाम

राजस्थान राज्य

--- अप्रार्थी

:प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बाबत् वाहन सुपुर्दगी:

उपस्थितिः-

01. श्री साबिर खान सिलावट, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/वाहन स्वामी।

02. श्री भोपालसिंह, विद्वान अभियोजन अधिकारी - वास्ते राजस्थान राज्य।

:: आ दे श :: **दिनांकः 10 अप्रेल, 2026**

(01) हस्तगत आदेश द्वारा प्रार्थी भंवरू खान की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश प्रार्थना-पत्र बाबत् वाहन बिना नंबरी ट्रेक्टर जिसके चेसिस नंबर व ईंजन नंबर NFBU00131 मय बिना नंबरी ट्रोली को सुपुर्दगी पर दिए जाने का निस्तारण किया जा रहा है, जिसकी नकल पूर्व में अभियोजन अधिकारी को दिलवाई जा चुकी है। प्रार्थना-पत्र के संबंध में संबंधित खनिज विभाग, परिवहन विभाग, जालोर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है, पत्रावली सिगे से तलब की गई।

(02) प्रार्थना-पत्र पर बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वयं खरीद सुदा, रजिस्टर्डसुदा ट्रेक्टर नम्बर आरजे 16 आरबी 0398 व अनवर खान पुत्र भंवरू खान के नाम रजिस्टर्डसुदा उक्त ट्रेक्टर के पीछे लगी ट्रोली नम्बर आरजे 16 ईवी 1116 को गलत तरीके से जालोर पुलिस ने अवैध बजरी खनन में पकडकर पुलिस थाना में खड़ा किया। प्रार्थी के उक्त वाहन में किसी प्रकार से कोई अवैध बजरी का खनन नहीं किया गया तथा प्रार्थी बकायदा डम्पर के माध्यम से रवन्ना से लाई गई बजरी को लेकर अपने कृषि कुआ पर मरम्मत कार्य करने के लिए ले जाते समय जालोर पुलिस ने गलत तरीके से प्रार्थी के उक्त वाहन मय ट्रोली अवैध बजरी खनन में भरा होना गलत दर्शा कर सीज कर जालोर थाने में खडा कर दिया। उक्त वाहन को प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से अवैध खनन नहीं किया गया है तथा उसके ड्राईवर ने बकायदा रवाना के माध्यम से लाई गई बजरी को ले जाते समय पुलिस ने सीज किया। उक्त वाहन को किसी नदी नाले से अवैध बजरी खनन करते नहीं पकड़ है, बल्कि गलत तरीके से अवैध बजरी खनन में पकड कर

वाहन को जब्त किया गया है, पुलिस द्वारा मौके पर भी खनिज विभाग के अधिकारी को नहीं बुलाया तथा ना ही खनन अधिनियम की धारा 54 के तहत 72 घंटे में न्यायालय के समक्ष इसकी सूचना दी है। पुलिस ने बाद खनिज विभाग से मिलावट कर अवैध बजरी होना गलत लिखकर उक्त वाहन को सीज किया गया है। खनिज विभाग के दबाव में प्रार्थी के उक्त वाहन को गलत तरीके से पकडकर सायला थाने में रखवाया है। खनिज विभाग जालोर द्वारा जुर्माना राशि व आरजीटी राशि जमा करवाने का गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पर रिलीज करवाने के लिए श्रीमानजी के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा जमानतनाम प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रार्थी के आय का एक मात्र साधन उक्त वाहन ही है तथा उसके सीज कर रखने से उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या खड़ी हो जायेगी। प्रार्थी को उक्त वाहन को वर्तमान में अपने खेतीबाडी के काम में आने वाला है तथा उसके परिवार को रोजी रोटी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अतः प्रार्थी को वाहन सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द किया जावें। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ जब्तशुदा वाहन के संबंध में ट्रेक्टर व ट्रोली का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा व स्वयं का आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस तथा ट्रोली मालिक अनवर खां का प्रार्थी भंवरू खां को ट्रोली की सुपुर्दगी बाबत सहमति पत्र की प्रति पेश की है।

(03) उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि **<u>प्रार्थी का वाहन पूर्व में भी खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन में लिप्त होना पाया गया था</u>** तथा अब पुनः दूसरी बार अवैध बजरी परिवहन करते हुए पकड़ा जाकर पुलिस थाना कोतवाली जालोर द्वारा जब्त किया है तथा पूर्व में प्रार्थी द्वारा उक्त वाहनों का प्रयोग भविष्य में अवैध बजरी खनन या अन्य अवैध गतिविधियों में नहीं करने बाबत न्यायालय में पेश अंडरटेकिग की शर्त को भंग किया गया है। ऐसे में अपराध की पुनरावृत्ति व गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

(04) पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत बिना नंबरी ट्रेक्टर जिसके चेसिस नंबर व ईंजन नंबर NFBU00131 (जिसके रजिस्ट्रेशन नं. RJ 16-RB-0398) मय बिना नंबरी ट्रोली (जिसके रजिस्ट्रेशन नं. RJ 16-EV-1116) को दिनांक 16.05.2025 को बगैर किसी वैध रवन्ना/ट्रांजिस्ट पास के अवैध रूप से बजरी भरकर परिवहन करते हुए सरहद जालोर में पुलिस थाना कोतवाली जालोर द्वारा चालक अनवर खां व इमरान खां के मौके से भाग जाने पर जब्ती कार्यवाही कर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 147/2025 अपराध अंतर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता व 4/21 एमएमडीआर एक्ट व 15,16 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रकरण में जब्त किया गया है। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से जब्तशुदा वाहन बिना नंबरी ट्रेक्टर जिसके चेसिस नंबर व ईंजन नंबर NFBU00131 (जिसके रजिस्ट्रेशन नं. RJ 16-RB-0398) का पंजीकृत स्वामी भंवरू खां पुत्र मोहम्मद खान तथा बिना नंबरी ट्रोली (जिसके रजिस्ट्रेशन नं. RJ 16-EV-1116) का पंजीकृत स्वामी अनवर खां पुत्र भंवरू खां होना प्रकट होता है। लेकिन अनवर खां द्वारा ट्रोली को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु भंवरू खां को कोई आममुख्त्यार नहीं दिया है। प्रार्थी की ओर से केवल सहमति पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया है। सहमति पत्र पर अनवर खां के ही

हस्ताक्षर है, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 16 आरबी 0398 पर ई-रवन्ना ओवरलोड जुर्माना राशि 6000/- रुपये बकाया होना जाहिर किया गया है। खान एवं भू विज्ञान विभाग की रिपोर्ट अनुसार जब्तशुदा वाहन ट्रेक्टर-ट्रोली में खनिज बजरी भरी होकर उसके वैध खनन व परिवहन के संबंध में किसी प्रकार के ई-रवन्ना/रॉयल्टी/ट्रांजिस्ट पास नहीं होना जाहिर किया है तथा बजरी का अवैध तथा अनाधिकृत निर्गमन होने से राज. अप्रधान खनिज रियायत नियम 54 व 60 के तहत खनिज की रॉयल्टी की राशि 450/- रुपये व कंपाउंडिग राशि 25,000/- रुपये एवं माननीय एनजीटी द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु अधिरोपित जुर्माना राशि 1,00,000/- रुपये, इस प्रकार कुल 1,25,450/- रुपये (अक्षरे एक लाख पच्चीस हजार चार सौ पचास रुपये) वसूली योग्य होने व बकाया होना प्रकट करते हुए **यह भी जाहिर किया है कि उक्त वाहनों को पूर्व में भी अवैध बजरी खनन में लिप्त पाए जाने पर खनिज विभाग द्वारा जब्त किया गया था तथा उक्त वाहन दूसरी बार खनिज बजरी के अवैध खननर/निर्गमन में लिप्त पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली जालोर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 147/2025 में जब्त किया गया है।**

(05) प्रार्थी द्वारा पूर्व में न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2025 को ट्रेक्टर नंबर RJ-16-RB-0398 मय ट्रोली को सुपुर्दगीनामे-जमानतनामे पर प्राप्त करते समय उक्त वाहन को भविष्य में अवैध बजरी खनन व परिवहन में प्रयुक्त नहीं करने बाबत पृथक से अंडरटेकिंग भी पेश की गई थी, जिससे उक्त वाहनों का पुनः अवैध बजरी खनन-परिवहन में प्रयुक्त व जब्त होने से उक्त अंडरटेकिंग/शर्त का भंग होना पाया जाता है एवं प्रार्थी का उक्त कृत्य न्यायालय के वाहनों को सुपुर्दगी पर दिए जाने के सशर्त आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। ऐसे में प्रस्तुत पत्रावली व खनिज विभाग की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से चूंकि प्रश्नगत वाहन द्वारा न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेशित सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए दूसरी बार अवैध बजरी परिवहन किए जाने का तथ्य प्रकट हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बाबत् वाहन सुपुर्दगी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(06) परिणामस्वरुप प्रार्थी/वाहन मालिक भंवरू खान पुत्र मोहम्मद खान, उम्र 27 वर्ष, निवासी सेवड़ी, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बाबत् वाहन सुपुर्दगी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(प्रिया टावरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जालोर (राज.)

(07) आदेश आज दिनांक 10.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रिया टावरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जालोर (राज.)